

अमायुक्तकार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर
क्रमांक १/११/खंड/पाप/२०१५/ १०९७६-११३८,

इन्दौर, दिनांक २४-३-१८/

प्रति:

१. समस्त कलेक्टर, जबलपुर काठनी छिन्दवाडा मण्डल, बालाघाट, सिवनी, चौमिहपुर, नालंजन, नंदसीर देवाम, रत्नाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सातना, रीवी रीवा, शाहील उमरिया, अनुपपुर, डिल्डीरी, फिल्डीली, भोपाल, बैतुल, तिविला, रायसेन, रायगढ़, सीमोर, होडगढ़नाकाद, इस्या, खोलिया, गुना, भिंच, शिवारी, आशोकनगर, दतिया, मुरेना, लांगपुर, इन्दौर, बुखानपुर, बार, खरगीन, जामुजा, खानपाल, बढ़ानी, झटीराजपुर, बागर, मालवा (म.प.)
२. समस्त गुरुद्य वार्षीयालय अधिकारी, जिला प्रबालय, जबलपुर, काठनी, छिन्दवाडा, नंदुला, बालाघाट, सिवनी, नंदसीरपुर, उत्तरने, नंदसीर, देवाम, राजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवी, रीवा, शहबौल, उमरिया, अनुपपुर, फिल्डीली, शिवरीली, भोपाल, बैतुल, तिविला, रायसेन, रायगढ़, दीक्षेप, दोशगावाड, हरदा, खोलिया, गुना, भिंच, शिवारी, आशोकनगर, दतिया, मुरेना, जामुजा, इन्दौर, बुखानपुर, बार, खरगीन, झाकुजा, खानपाल, बढ़ानी, झटीराजपुर, बागर, मालवा (म.प.)
३. एप अमायुक्त, भोपाल/इन्दौर
४. सहायक अमायुक्त, जबलपुर, उत्तरने, मंदसीर, सागर, सातना, भोपाल, खोलिया, इन्दौर, होडगढ़नाकाद, तिविली।
५. एम पदाधिकारी/सहा अमदाधिकारी/एम निरीक्षक बालाघाट, काठनी, छिन्दवाडा, मण्डल, देवाम, रत्नाम, शाजापुर, जलेपुर, दमोह, रीवी, सिवनीली, रीवा, शहबौल, बैतुल, तिविला, शिवरीली(सागरने) रायगढ़, पन्ना, भिंच, नालंजनपुर (भिंच), बुखानपुर, धार, दीक्षेप, शरगाँव, झाकुजा, होडगढ़नाकाद, तिविली, नंदसीरपुर, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़, बरसिया, अनुपपुर, फिल्डीली, रीवीर, शिवारी, आशोकनगर, दतिया, मुरेना, खानपाल, खानपाल, बढ़ानी, झटीराजपुर, हरदा।
६. सचालक, ओटोगिक रायगढ़ एवं सुख्ता इन्दौर।
७. संयुक्त सचालक, औद्योगिक रायगढ़ एवं चुरुका इन्दौर, भोपाल।
८. एप सचालक, औद्योगिक-स्थान्य एवं सुख्ता इन्दौर, तापतिंग लेव, इन्दौर, देवारा, उक्कोन, खानपाल, भोपाल, खोलिया, जबलपुर, सतना।
९. सहायक सचालक औद्योगिक स्थान्य एवं सुख्ता मंदसीर।
१०. राजिव, म.प्र. यदव एवं आन्य संनिर्णय कर्मकार कल्याण मण्डल, ८२, हर्षविंच नगर, भोपाल।
११. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, ८३, मालवीय नगर, भोपाल।
१२. सवित्र, म.प्र. त्तेट पेनिसल कर्मकार कल्याण मण्डल, मन्दसीर।
१३. सतिव, म.प्र. शहरी एवं आमीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
१४. लेव बूरे, फिल्डीली (हिमावत फ्रेंड्स)।

प्रियजन— न्यूनतम वेतन आधिनियम, १९४६ के अंतर्गत श्रमिकों के लिए १ अप्रैल २०१६ से न्यूनतम वेतन दरे लागू करने की छिन्नी है।

—००—

उपर्योग शिष्यालयांत, श्रमिकों को लिए न्यूनतम वेतन की नई मुनरीशित दरे ०१.०४.२०१६ से प्रभावीत हो गई है।

उक्त दरे पुस्तक के रूप में आम लिखान की बेक्सार्ट पर भी लगते हैं। जिनका जानकारी को लिए काम लिया जाना बेसाइट www.labour.mpr.gov.in पर जीम ऑन करने का काट नहीं।

(संगीत जेन)
अमायुक्त
मालवीय इन्दौर



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01/04/2018 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाइट
www.labour.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु दिनांक

01 / 04 / 2018

से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67
नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 01-13
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क. 14
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 15-17
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 18-25
अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क. 26-32
अन्य	पृष्ठ क. 33-34

1

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पाच/2015 ।। ५९२-८४।।

इंदौर, दिनांक २८-३-१८

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की घारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसारण में, मैं शोषित जैन, अमायुक्त एवं द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेवर ब्लूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2017	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	285
अगस्त	285
सितम्बर	285
अक्टूबर	287
नवम्बर	288
दिसम्बर	288
(औसत)	1716÷6=286

तथा इनका औसत 286 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के अभिकों के लिये औसत निर्वाह व्यव सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के अभिकों को दिनांक 1.04.2018 से 30.09.2018 तक परिवर्तनशील महगाई मत्ता देय है।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2018 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एक 4(सी)1-2013/अ-16, के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के अभिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरे पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2018 से लागू है।


 (अमायुक्त जैन)
श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश, इंदौर
 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
 सकम प्राधिकारी

अम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

परिवर्तनशील महगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (वरापारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 355 से 360, 364 से 364 एवं 395 से 400 पर ब्रकारित अम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार ताज्य के जागीरों के दिए न्यूनतम घेतन की दरे पुनरीक्षित की गई है जो अखिल भारतीय उपभोक्ता गूच्छ सूचकांक 241(जनवरी-जून 2014), 2001=100 को अनुग्राह मानकर संबद्ध की गई है।

अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे / पाँच/2015/ 11492-721। दिनांक 26.3.2018 के अनुसार जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता गूच्छ सूचकांक का औसत 286 रहा है। गत 4 माहों का औसत 276 रहा था जो इसके पूर्व की छमाही के औसत से 276 से 2 विन्दु सूचकांक कम था किन्तु न्यूनतम घेतन अधिनियम 1948 की घारा 12(1-ए) के अनुपालन में न्यूनतम घेतन में कमी नहीं की गई थी। अतः इसके काल में 4 माही में मान्य जिए गये अखिल भारतीय उपभोक्ता गूच्छ सूचकांक के औसत के 273 के ऊपर (206-276)=08 औसत विन्दुओं की दृष्टि हुई है जिसके परिणाम सूचक 63 अनुसूचित नियमजनों में अद्विक्षल, कुशल एवं उच्च कुशल अभिक्षमों के लिए परिवर्तनशील महगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिक्रिय प्रतिमाह के मान से रूपये (25X08)=200.00 प्रतिमाह की दृष्टि हुई है। अद्विक्षल, कुशल एवं उच्च कुशल अभिक्षमों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता गूच्छ सूचकांक 241(2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता गूच्छ सूचकांक ने (206-241)=45 औसत विन्दुओं की दृष्टि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील महगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X45)=1125.00 प्रतिमाह या (1125/26) लाख 43.27 प्रतिदिन एवं अद्विक्षल अभिक्षमों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता गूच्छ सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता गूच्छ सूचकांक में (206-253)=33 औसत विन्दुओं की दृष्टि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील महगाई भत्ते की कुल राशि (25X33)=825.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (825/26)=31.73 रूपये दिनांक 1.04.2018 से 30.09.2018 तक देय है। (अनुसूची अवसरों के लिए)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, गोपाल के पत्र क्रमांक 303/आ०/577/02/गि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश ताज्ये में प्रमावशील न्यूनतम घेतन अधिनियम 1948 की घारा 2 (घ) में निहित प्राविधिक राहपरित भव्यप्रदेश वर्ग विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, विभाग 25.05.82 के अनुसारण में, गे एतद द्वारा शासकीय दीनिक घेतन भोगी अभिक्षमों एवं कर्मचारियों के लिए दीनिक घेतन की दर सापूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची "क" के अनुसार नियांसित रखता है जो दिनांक 1.04.2018 से 30.09.2018 तक देय है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वैतन

निर्धारित हैं

भाग—एक

क्र.	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी बन लगाने तथा बन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संशारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्ग पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कनफेक्शनरी, आईस्कीम, आईसकॉडी समिलित हैं, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर लोडने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी समिलित हैं/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी वाटरीज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान समिलित हैं, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पैसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गैरु के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मैग्नोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स समिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स समिलित नहीं हैं, के निर्माण में नियोजन

33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविधि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34.	किसी प्रायोपेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्बलित है में नियोजन
35.	किसी प्रायोपेट रोक्षणिक संस्था , जिनमें कोविंग केन्द्र भी सम्बलित हैं, में नियोजन
36.	किसी तैयार किये गये (रिफिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39.	किसी खदान जैसे कंकड़,मुर्गम,लेट्राइट,बोल्डर,ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती,बिल्डिंग स्टोन,रोड मेटल,अर्थ फुलर्स अर्थ और लाइम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है,में नियोजन
40.	किसी ऑटोगोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41.	किसी बेकरी में नियोजन
42.	किसी कॉल्ड स्टोरेज(शीतामार) में नियोजन
43.	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44.	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45.	किसी सिनेमाघृहो या थियेटरो में नियोजन
46.	किसी वलब में नियोजन
47.	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48.	किसी अधिवक्ता या अटानी के कार्यालय में नियोजन
49.	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50.	किसी उर्वरक या पेस्टीसाइड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51.	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52.	किसी इलेक्ट्रोनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53.	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54.	गिट्री के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55.	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57.	किसी ऑटो रिक्षा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58.	किसी विपणन सोसायटियों, उपमोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंकोंको-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59.	किसी होजारी में नियोजन
60.	किसी साबुन निर्माण (जिसमें छिटरजोन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61.	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62.	किसी खिलौना निर्माण,जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्बलित है,में नियोजन
63.	किसी सुख्का कार्य तथा डिटेक्टर सेवाओं में नियोजन
64.	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65.	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66.	किसी अचार,बड़ी,पापड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68.	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70.	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71.	किसी पुरातात्त्विक कार्य में नियोजन
72.	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन

भाग-दो

1. कृषि में नियोजन



 डॉ. अमित जैन
 नियोजन विभाग,
 राजस्थान, इन्दौर

स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण—

१ इस अधिसूचना के प्रयोगम के लिये (१) इस अधिसूचना के द्वारा जो समिक्षा वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेकर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अतिरिक्त बनाये वये नियम के अनुसार संवित केलेकर मास की समस्त अवकाश के दिनों का जाम उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगमित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को २५ से भाग देकर संगमित किया जावेगा।

२ कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न कर्मचारीय में बताए गये हैं वे उच्चाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा वर्ग कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, को लिए न्यूनतम वेतन की दर तभी देनी जो सामान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

३.

उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा—

(क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रैत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय लेंदि वात प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उच्च व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।

(ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रैत है जो सामान्यता रोजगारी का एक निरिधारा स्वरूप का काम करता ही जिसमें वे उसमें उत्तीर्ण निर्णय, बुद्धि, क्षमता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सामेजित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सीधे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य लेने वयस्ते रोजगारी के कार्य के करने तक ही सीमित है।

(ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रैत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें उचित निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यथापि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिवर्तित होना आवश्यक ठोका है। इस प्रकार वार्षिकीय अन के अलगाव उसे विभिन्न वर्षों तथा भाल तथा सेवाओं से परिवर्तित होना चाहिए।

(घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो उक्कीकी एवं विशेष उपरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी त्वरितता से निर्णयकृद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं उक्कीकी एवं डिप्लोमाचारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है।

आते गुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रैत है जिसे करने के लिए साधन तकनीकी या व्यवसायिक प्रतिक्रिया या कठिप्रय उचित जलवि के अवहारिक कार्य अनुभव से अभित संपूर्णता और पूर्ण स्वामता की आवश्यकत होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के विवरण के बाबत किये जाने वाले निर्णयों या विविधायों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अधिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्थानीय तकनीकी या व्यवसायिक विशिष्टण प्राप्त करने के पश्चात उचित जलवि का अवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे खींचे गये कार्यों को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक उचित रूप से प्रयोग करते हुए संबद्धित कर रखता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी दिशीय या डिप्लोमाचारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिल्प या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

(4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रदर्शन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरे न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दक्षा में कम नहीं की जाएगी, जब एक की न्यूनतम वेतन की दर उसके सामने नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की सारा १२(१-५)

(5) किसी भी स्थानना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरों अधिसूचित गूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देश परिकल्पनाली महगाई भरती के दोग से अधिक होने पर यह सामग्रा जाएगा कि स्थानना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित गूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महगाई भरती दिये जाने का यालन किया जा रहा है। यदि स्थानना या उपक्रम द्वारा देश न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महगाई भरती के दोग से कम है तो अमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होते।

- (6) न्यूनतम वेतन की दरों से न्यूनतम नाजदीकी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की शारा 13 की उपचारा (1) के अपेक्षा (2) के आधीन परिवर्तित किए जनुसार विभाग विवर के संबंध में पारिवर्तिक समिलित है।
- (7) जहाँ कर्मचारी खण्डवर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डवर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छ दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सावैतानिक बाबकाश देने पर समय-समय पर नियोजित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही रूपरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकाप जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तात्परा ऐसे वर्गों के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में समिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। अनियकों एवं कर्मचारियों की वर्गीकरण की सूची मलग्न है।



(श्रीभूपिंद्र सिंह)
भूप
माध्यप्रदेश हाईकोर्ट

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ
सूची:-

अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिस्ती, स्वीपर, बलीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/भृत्य, चीकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), छीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमैन, वॉटल कलीनर, वेटर, सर्विस—मैन, गेट कीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमैन, वैन्सर, प्रेसमैन, छेड़वाला, सिलाई ओपनिंग, डपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायर्सेस्टर वैडर, बालवाली आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डाले वाला), गनी बेग फिलर, लिटकैरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाइड्याला, बॉडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छाटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना छालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, बुलाई, बेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बॉय, सेक्यूरिटी गार्ड/सुरक्षा कर्मी, अटेंडर, अटेंडेंट, वार्ड सप्लायर, पैटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), घादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉन्चरमैन, वॉशरमैन, लोडिंग—अनलोडिंग, माला गूंथना, पापड़ बेलने का कार्य, बेल बॉय, वेटर, रुम अटेन्डेन्ट, धागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई घुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्धकुशल:-

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, कलर्क, मोहर्रि, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर—वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिंकर, सहायक ब्लेकरिंग, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मैकर, सहायक ग्रीसर, सहायक ऑईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमैन, लिपिक, पम्प अटेन्डेन्ट, छीलबरो कैरियर, ब्लेसरमेन, ड्यायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बोतल फिलर, केम्बल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमैन, एक्सपेलर मैन, मशीन अटेन्डेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल कलर्क, रिवाईन्डर बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समैन, मसालधी, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूंथने वाला, या मिट्टी का धोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, बटटे या चिमनी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जॉबर, सहा, सविच, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्रिस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिने, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन ऑपरेटर, सहायक सॉर्टर, मुशी, कार्मेशी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेन्ट, इ.सी.जी. असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर, असिस्टेन्ट नर्स, लिफ्ट मैन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, कॉपिंस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेंडेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किल्स शॉप श्रमिक, पच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किल्स श्रमिक, ब्लेजर पैन मिल, फिक्शन,

किलन्स अनलोडर्स, डीजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बैन्डसा आपरेटर, चिपर, मैकेनिक कम हेल्पर, बैन्डसा मैकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंयार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेविनशियन, डार्क रुम सहायक, सहायक जिम्फ्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग वर्ल्क, थ्रेसर, आया, पैकिंग वाले, लेझर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्सटकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाईजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेअर, जॉनीटर, वेक्यूम कलीनर तथा अन्य अद्दकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल:-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मैसन, प्लम्बर, पॉलिश पेटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी), कैबिनेट मैकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडारुनकीपर, फिटर, बायलर अटेंडर, टर्नर, मोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ड्रेवटर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्ट्री, सेलर मिस्ट्री, सुपरवाईजर, खानसामा, कुक, तंदूरधी, टी मास्टर, ऑर्डर मास्टर कारीगर, मिटाई बनानेवाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडकलर्क, सचिव जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यावरक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाणी या जशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, कायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनसिमथ, मुख्य लिपिक, स्टोर कीपर, ब्लेक सिम्ब, शेपर, वल्कनाईजर, टिंकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्न मैकर, हैमरमेन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनीशियन/लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शॉपल, बेलसिंकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लाट अटेंडर, मोटरमैन, भट्टी वाला, पेटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्ट्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कप्रेसर ऑपरेटर, लान्ड्री अटेंडर, वाप्टर टाईफिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, सीनियर कम्पाउन्डर, सीनियर नर्स, रेकॉर्ड कीपर, जो.टी. मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रमारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्ट्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खी चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थेसरमेन, पेटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायकलीनडोजर, स्कैपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायझेरीयन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंजार्च (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेंडर्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्रस मैकेनिक कम ऑपरेटर, सर्वेतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्ड सिक्युरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, खायटीशियन, मसाजर, कॉफ्टन, बारमेन, रस्यूर्ड, बेकरी कारीगर, ओवन/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खीचना, आभूषण ज़ज़ाई करने वाला, सौपमेकर, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय मैकर, स्टिचर, रिशेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रियाईचर, हेडकुक, सर्वेअर, गाईड सुपरवाईजर, सॉर्टर, वाइण्डर, मैकेनाइजर हाउस कीपिंग, सेल्स रिप्रेजेन्टिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल:-

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एन टेक/एम.एस.सी.डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियालॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर—सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सॉफ्टवेअर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेअर इंजीनियर, कंसलटेंट, सीनियर कन्सलटेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडीकल रिप्रोजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रगत्याशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, ट्रेसीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सार्विटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी दिशी या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उच्च व्यवसाय तकनीकी, विज्ञा या उद्योग का सम्बंधित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित भ्रमिको के वर्गीकरण की सूची :-

उच्च कुशल:-

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर—सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे:-

अकाउण्टेंट, कैशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" :-

बिलमेन, टायपिस्ट, कलर्क।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाइनो ऑपरेटर, लाइनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेवशन होल्डर, सीनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-

कम्पोजिटर टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेप्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रैडल प्रेसेमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवार्डर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईचर, सिविंग मशीनमैन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निंसमेन, बैकसीनर, बॉक्सीन मशीनमैन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्धकुशल श्रेणी 'दो' जैसे :-

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेट कोमरा ऑपरेटर, असिस्टेट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काल्पन्तर थेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, थेकर प्रुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लैवर पंचर, रूलिंग फिलर, विभिंगमेन, ड्रायवर, डार्कर्कम असिस्टेट फाराण्डी, असिस्टेट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईलर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीलर स्टीरियो, टाईप रस्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायविलनर, मजदूर आकिजलरी, गेलीप्रुफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूथेकर, इकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, घून, माली, लिथो साघारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।



(डॉ. के. सी. जैन)
कृष्णप्रदेश, इंदौर

अनुसूची—ब

किसी रेलवे प्रेसिल नियाज खाता में नियोजन
आपरिक एवं दैनिक वेतन की दरों जिसमें परियोगानील मोहाइ भत्ता भी सम्मिलित है (भाँकड़े रूपयों में)

खातारम वेतन की मुनाफ़ेरिका दरों		परियोगानील मुनाफ़ेरिका भत्ता	कुल वेतन	कम्पनियाँ का चारों कार्यालय	कुल वेतन की मुनाफ़ेरिका दरों	परियोगानील मुनाफ़ेरिका भत्ता	कुल वेतन	फुटवे में सापेक्ष आप का दैनिक दरों
प्रतिशत	प्रतिदिन	प्रतिशत	प्रतिदिन	प्रतिशत	प्रतिदिन	प्रतिशत	प्रतिदिन	प्रतिशत
(विनाग्रंह 01.10.2017 से 31.03.2018 तक पर्याप्ति दिन 04.4.2017 से जारी दरों यथापात्र रखी गई थी)							(विनाग्रंह 01.04.2018 से 30.09.2018 तक*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10155.00	390.57	925.00	35.58	11080.00	426.15	426.00	390.57	10155.00
9572.00	386.23	925.00	35.58	10447.00	401.82	402.00	386.23	9522.00
0705.00	267.88	925.00	35.58	7630.00	293.46	293.00	267.88	6705.00
8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	380.00	380.00	324.42	8435.00
0680.00	260.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00	260.00	6800.00
9735.00	374.42	925.00	35.58	10680.00	410.00	410.00	374.42	9736.00

स्पष्टीकरण—

- (1) नियोजन के ऐसे तरह खातों के ग्राहकों को राजमात्र आप करने से दोनों एवं सामिक आपदारी नियमित भी बोली। विवरित व्यवहार द्वारा दिया गया और ५० दिनों से अधिक तो अधिक तिथा घोषित हो जाएगा।
- (2) अनुसूचित अप्रियों के लिए दक्षिण रेल वेतन दरों पर लेख दर्तक रेलवे विभाग द्वारा नियन्त्रित अप्रियों के लिए कॉलेक्ट लार्जी रेलवे विभाग द्वारा दिया गया है। इसके दरमाने में जो कोई भी दर्तकी तर्ज से उपलब्ध हो जाएगा। उसके दरमाने में जो कोई भी दर्तकी तर्ज से उपलब्ध हो जाएगा। उसके दरमाने में जो कोई भी दर्तकी तर्ज से उपलब्ध हो जाएगा।

कृष्ण शर्म
प्रबोधन
नियाज वेतन

उपरान्त वेतन की दरों को बढ़ावा दिया जाएगा, परं विवरित व्यवहार १९४८ की दरमाने में दर्तकी तर्ज से उपलब्ध हो जाएगी।

卷之三

विद्युतीय विज्ञान

पारिक एवं दैनिक योग्यता की दरें जिसमें पारिवहनशील महाराष्ट्र भी सम्मिलित हैं (आंकड़े लापत्ति में)
न्यूनतम योग्यता की गणनाएँ फुल योग्यता लूपयोग्य में शाळमण कमरायी न्यूनतम योग्यता की परिवहनशील महाराष्ट्र पुनर्वाहिका दरों परता

विद्यार्थी निवासिणी के लिए तथा कलेज को राहगढ़ अप लकड़ी निवासित की जावेगी। यिन्हें विद्यार्थी निवासित की जावेगी।

(शोधकर्ता के नाम)
श्रीमति श्रीपद चतुर्वेद
गवाहाराज

अनुसूची -क
प्राचीन शासकीय लिखानों में कार्यरत दैनिक वेतन एवं वैदिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील गठंगाई भरा सम्बन्धप्रदेश के विभिन्न शासकीय लिखानों में अधिकों इष्ट कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं वैदिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील गठंगाई भरा सम्बन्धित है। (आकड़े रूपयों में)

न्यूनतम शुल्क वेतन परिवर्तनशील मदगाई खाली										प्रतिवर्तनशील महानाई अवधि वेतन				
प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	प्रतिवर्तन	
(दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक पूर्व दि. 01.04.2017 से जारी वर्ते वयावत रखी गई थी)										(दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9200.00	216.66	625.00	20.83	7125.00	237.60	238.00	वर्षावार	65000.00	210.66	625.00	27.50	7325.00	244.20	244.00
7057.00	235.23	925.00	30.63	7982.00	256.10	266.00	वर्षावार	7057.00	235.23	1125.00	37.50	8162.00	372.73	273.00
8436.00	281.16	925.00	30.63	8380.00	312.00	312.00	वर्षावार	8435.00	281.16	1125.00	37.50	9580.00	316.70	319.00
8725.00	324.50	925.00	30.63	10660.00	355.33	365.00	वर्षावार	9735.00	324.50	1125.00	37.50	10860.00	362.00	362.00

104

- उस प्रकार उपरिवित न्यूट्रम बेल की दरों का पहले किसी भी कठिनती पर प्रतिष्ठित इताह नहीं आता, यदि विभान जेतन की दरें न्यूट्रम बेल की पुनरीक्षा दरों से अलग हैं, तो यह किसी भी दवा में कम गहरी की जाएगी, यह एक की न्यूट्रम बेल की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। न्यूट्रम बेल अधिनियम-1960 की दारा 12(5)-प

न्युनतम येतन की प्रतिष्ठान वर्ष में दो दरों से अधिक है, तो यह किसी भी पुनर्निकार दरों से अधिक है।

३२५

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/ 11742-991,

इन्दौर, दिनांक 28-3-18

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं शोभित जैन, श्रमायुक्त एवं द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता है—

माह/वर्ष 2017	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई	884
अगस्त	894
सितम्बर	893
अक्टूबर	901
नवम्बर	905
दिसम्बर	900
(औसत सूचकांक)	5377+6 = 896

तथा इनका औसत 896 घोषित करता है। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कार्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)–1–2014–ए–सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा 1.04.2018 से 30.09.2018 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।


(शोभित जैन)
श्रम विभाग
मध्यप्रदेश, इंदौर

एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासन प्राधिकारी

असे तीन विषयांत कायाकरण, मात्रादेश थाएनन, हैं।

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01 / 04 / 2018 से 30 / 09 / 2018 तक को अवधि हतु परिवर्तनशाली महगाई नहीं की जाएगी।

प्रम लिखा औपर स्वीकृत और पुस्तक कागज पर्फ-4 (लो) / 1-2014-४ संख्या २३०३६ [मुद्रित रिकॉर्ड उत्तराखण्ड ४०] (नवांग १०/०८/१५) अंत में कठि लिखेंगे एवं श्रमिकों द्वारा प्रतीकार्य कराये जायेंगे।

आग्रही—द

कृषि में नियोजन

गारिक एवं दीनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम जून वेतन	परिवर्तनशील भवाग्रह भवाग्रह	जून वेतन	जून वेतन में शक्तिकारी वर्धन वेतन	परिवर्तनशील महगाई भवाग्रह भवाग्रह	कूट वेतन	कूट में उत्तराधिकारी वर्धन कार शक्तिकारी वर्धन
प्रतिमात्र	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह
(दिनांक 14.03.2017 से 31.03.2016 तक पहले दिन 1.04.2017 तो चारों वर्षों प्रत्यावर्त रखी गई थी)						
1	2	3	4	5	6	7
5360.00	178.33	644.00	21.60	6996.00	199.93	200.00
न्यूनतम वेतन	न्यूनतम वेतन	न्यूनतम वेतन	न्यूनतम वेतन	न्यूनतम वेतन	न्यूनतम वेतन	न्यूनतम वेतन
प्रतिमात्र	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह
(प्रतिमात्र 1.04.2010 से 30.09.2016 तक)						

स्पष्टीकरण— परिवर्तनशील महगाई भवाग्रह

- (1) न्यूनतम वेतन की दरे सभा परिवर्तनशील महगाई भवाग्रह जो लेखर छारे। भिन्नता दरों नियत अधिकल भारतीय कृषि क्षमिका उपभोक्ता मूल्य भवाग्रह 768 (1966-67 =100) क्षमतावरी से बहुन् 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के घटर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के उत्तराधिकार में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर ते प्रतिविहृत प्रतिमाह 08 लघवे (ज. लक्षणों) के मान से देख सकते हैं। 01 अप्रैल से देख परिवर्तनशील महगाई भवाग्रह के अधिकार पर को लावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देख परिवर्तनशील महगाई भवाग्रह की यांत्रणा गत जनवरी से जून तक छ. माह के औसत सुधारकों के आधार पर की जावेगी। जिसकी धौपाण अधिकारियां के अंतर्गत नियुक्त सभाम प्राविकारी हाथा प्रकाशित की जावेगी।

- (2) मानवतावधी नियुक्त सभाम प्राविकारी को पुणाकों को खफार अप करने की दीनिक एवं मासिक मानवतावधी नियरित की जावेगी। यिह विभाग के परिपत्र कमांडर एवं 9-7/2006/निया/चार. दिनांक 20 नियमक 2006 ने 50 ऐसे अधिक वर्षों से अधिक ऐसे हो तो, उहाँ अगले उमसताव रुपये में यूनिक्रिट किया जावेगा और 50 ऐसे से कम वर्षों को छोड़ दिया जावेगा।

- (3) गारिक वेतन पर नियुक्त विभी कर्मीकारी आंकड़ों का देखर लगानित किया जावेगा।
 (4) अधिकृतिक व्युत्तम वेतन दरों का प्राविकार कियो भी कर्मचारी पर प्रतिवेदन ज्ञापन अधिकारियम 1948 की दाख 12 (1-5)
 विभी भी दरा में कम नहीं की जावेगी। इनाम वेतन अधिकारियम 1948 की दाख 12 (1-5)
 (5) इस अधिकारिया के अंतर्गत वेतन दरों की व्युत्तम वेतन दरों में व्युत्तम महगाई अधिकारियम 1948 (1948 का 11) की दाख 13 की उपाधारा (i) के
 लागड़ (ii) के अद्यैन परिवर्तनशील किये आग्रह विभाग सम्मिलित है।

श्री किशन सिंह
मन्त्रालय
इन्द्रधन

अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/।। ९९२-१२२५।,


इंदौर, दिनांक २८-३-१८

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदल्ल अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं शोभित जैन, अमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ।

माह/वर्ष 2017	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी 2017	6254.30
2. फरवरी 2017	6254.30
3. मार्च 2017	6277.12
4. अप्रैल 2017	6322.77
5. मई 2017	6345.60
6. जून 2017	6391.25
7. जुलाई 2017	6505.38
8. अगस्त, 2017	6505.38
9. सितंबर, 2017	6505.38
10. अक्टूबर 2017	6551.03
11. नवम्बर, 2017	6573.86
12. दिसंबर, 2017	6528.21
(औसत)	77014.58 ÷ 12 = 6418

तथा उक्तानुसार इनका औसत 6418 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित अभिको के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉर्ट ऑफ लियिंग इलेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर अम विभागीय एवं अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एक 4(सी) 1-2013-ए-सौलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजापत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महगाई भत्ता बीड़ी अभिको को दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2019 तक देय रहेगा।


 शोभित जैन
 अमायुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर तथा
 न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
 सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील महगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप
 श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)–ए–94–16–ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1–2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है। जो दिनांक 1.01.2018 से 31.12.2018 तक देय है।

अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इदौर की अधिसूचना, क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/ ॥१३३२ – १२३५। दिनांक २६.-३.-१५ के अनुसार जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6418 रहा है, इस तरह जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (6418–6262=) 156 अंकों की वृद्धि हुई है तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (6418–5299=1119 याइट) 1119 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महगाई भत्ता । ऐसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रूपये 11.19 परिवर्तनशील महगाई भत्ता दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2019 तक देय होगा।

(अनुसूची – ३)

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन	
1.	2.	3.	4.
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	रु 74.00	रु. 11.19	रु. 85.19 किन्तु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिणाम में भत्ताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जायेगा।

नोट:—एक हजार बीड़ी बेलन पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महगाई भत्ता रूपये 85.19 के अंतरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.45) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.26) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.99) इस प्रकार कुल रूपये 105.89 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 17.98 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलन पर दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2019 वी जावधि में श्रमिकों को कुल रूपये 8.99 एवं भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि 87.91 प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

2. रिलाई श्रमिक

अ. बीड़ी के कट्टो पर जिल्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा पुढ़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रुपये 63.58
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रुपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रुपये 67.45

ब. जिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. जिल्ली लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रुपये 57.14
2. जिल्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	03 पैसे प्रति चार हजार	रुपये 41.93
3. लेबल लगाना	रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति आठ हजार	रुपये 15.64
4. पुढ़ा बनाना या चिपकाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति आठ हजार	रुपये 16.05

स. एक हजार कट्टों पर जाबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

1. आढ़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रुपये 237.40
2. जिल्ली आढ़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रुपये 258.35
3. जिल्ली तथा नक्सी जिल्ली लगाने का कार्य	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रुपये 258.35

नोट:- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिशन तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, गोदाउनकीपर, स्टोरकीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, बलक, भूत्य, बौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के अनुसार नियमित होंगे।

- इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।
- 1- कुशल:- ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोरकीपर, हेल्पलर्स, गोदाउन कीपर
 - 2- अर्द्धकुशल:- बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोईया, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, बलक
 - 3- अकुशल:- ट्रक से माल छानने या उतासने या बीड़ियों के पूढ़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भूत्य, बौकीदार

Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)
effective from 01/4/2018 to 31/03/2019

V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2018

01.	Basic Wage	74.00
02.	Variable Dearness Allowance	11.19
03.	Leave with Salary (@ 5% of total wages)	4.26
04.	Total Wages	89.45
05.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	7.45
06.	P.F. contribution of employer (@10% of total wages)	8.99
07.	Total wages + Bonus + PF Contribution) Less Contribution of employer (-)	105.89 8.99
08.	Total Wages + Bonus	96.90
09.	Less PF Contribution of employee (@ 10% of Total Wages) (-)	8.99
10.	Net Payable to Beedi Roller	87.91


 (Shobhit Jain)
 Labour Commissioner
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/12446-695

इंदौर, दिनांक २८-३-१८,

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन साक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3781/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदल्ल अधिकारों का प्रयोग करते हुए एलद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं शोभित जैन, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विभाग जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष 2017	अखिल भारतीय बीड़ी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार दर्श 2001=100)
जुलाई	285
अगस्त	285
सितम्बर	285
अक्टुबर	287
नवम्बर	288
दिसम्बर	286
(औसत)	1716÷6 =286

तथा उक्तानुसार इनका औसत 286 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तमाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मासिक औसत निर्याह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में माग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महगाई मत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01/04/2018 से 30/09/2018 तक देय रहेगा।


 (शोभित जैन)
 श्रमायुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर तथा
 न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्भूत
 साक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अग्र विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)–ए–94–16–ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1–2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) के विनिर्भाष में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

शमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पौच/15/—
12546–635 दिनांक 28-३-१०१४ को अनुसार जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 286 रहा है। गत छ: माहों का औसत 276 रहा था जो इसके पूर्व की छ: माही की औसत 278 से 2 विन्दु कम था, किन्तु न्यूनतम वैतन अधिनियम 1948 की धारा 12 (1-ए) के अनुपालन में न्यूनतम वैतन में कमी नहीं की गई थी। आते हराके न्यूनतम गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक को औसत के ऊपर (286–278)=08 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेलन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता के प्रयोग 25 प्रति विन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $25 \times 08 = 200.00$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यसूचकांक 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $286 - 239 = 47$ औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये $25 \times 47 = 1175.00$ प्रतिमाह या $1175 \div 26 =$ रूपये 45.19 प्रतिदिन दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक देय है।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक निम्नानुसार देय है :

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये रहठणद्वय में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्डूपत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी लाला रसोईया, वाहन, ड्रायवर्क (चालक) हल्के वाहन, ट्रायपिरट, बल्क, बिलगेन	5075.00	195.00	1175.00	45.19	6250.00	240.38	240.00
2	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूँछों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, गृत्य, चौकीदार,	4945.00	190.00	1175.00	45.19	6120.00	235.38	235.00
3	ड्रायवर्क (चालक) मारीवाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कौशियर, स्टोरकीपर, गोलाउन कीपर, हेल्पर्लक	5225.00	200.96	1175.00	45.19	6400.00	246.15	246.00

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राखण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ ९-७ / २००६ / नियम / चार, दिनांक २० सितम्बर, २००६ में ५० पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और ५० पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरों न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की घारा 12(1-ए)

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होलेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरों न्यूनतम वेतन की मुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की घारा 13 की उपचारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विभाग विवास के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्ता अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेवर ब्यूसो, शिमला द्वारा निर्मित ओद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर ग्राति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की वृद्धि की वर्णना यह जनवरी से दिसम्बर तक वो एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्रम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।
4. निर्धारित मासिक वेतन केंलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहाँ नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीढ़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूफत्ता, धाना पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीढ़ी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे नाल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीढ़ी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्भलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे नाल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीढ़िया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण लप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

(अधिकारी जैन)
अम आयुर्कॉम, मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 4/11/अन्वे./पांच/2015/12697-946,

इंदौर दिनांक 28-3-18,

अधिसूचना

आगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सकाम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 26.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदल अधिकारी का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय आगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेवर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं शोषित जैन, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्ननुसार घोषित करता हूँ।

माह / वर्ष 2017	अखिल भारतीय आगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जाथार वर्ष 2001=100)
जुलाई	285
अगस्त	285
सितम्बर	285
अक्टूबर	287
नवम्बर	288
दिसम्बर	286
(औसत)	1715÷6 =286

अतः विगत छ: माही का औसत 286 घोषित करता हूँ जो कि आगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निवाह व्यय सूचकांक (वार्ष ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर अम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एक 4 (सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता आगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.04.2018 से 30.09.2018 तक देय है।


 (श्रीष्टि जैन)
 अम आयुक्ता, मध्यप्रदेश, इंदौर एवं
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 के अंतर्गत सकाम प्राधिकारी

27
**परिवर्तनशील महगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टौप
अग्रबद्धी उद्योग**

अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-जीलड दिनांक 29/09/2014 एवं अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अग्रबद्धी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधि किया गया है।

अमोन्यूजल कार्पोरेशन मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015/12697-946 दिनांक 28-3-2018 के अनुसार जूलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 286 रहा है जब छ भागी का औसत 276 रहा था जो इसके पूर्व की छ भागी के औसत 278 से 2 बिन्दु कम था, जिन्हें नवनाम वेतन अधिनियम 1948 की घारा 12(1-ए) के अनुपालन में न्यूनतम वेतन में कमी नहीं की गई थी। अतः इसके कारण गत छ भागी में भान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (286-278)=08 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अग्रबद्धी नियोजन में परिवर्तनशील महगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह द्वारा मान से (25X08)=रु. 200.00 प्रतिमाह की गुंडी हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001-100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (286-241)=45 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। एवं इस तरह परिवर्तनशील महगाई भत्ता की कुल राशि (25X45)=लपय 1125.00 प्रतिमाह या (1125- 26)=लपय 43.27 प्रतिदिन दिनांक 1-04-2018 से 30-09-2018 तक देय है। इसी तरह प्रति एक हजार अग्रबद्धी रोल करने पर (100 पैसा प्रति 4000) के मान से 25 पैसे प्रति हजार प्रति बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 45 पर (25X45)1125 पैसे अध्या 11 लपय 25 पैसे परिवर्तनशील महगाई भत्ता दिनांक 01/04/2018 से 30/09/2018 तक देय है।

अनुसूची एफ

अग्रबद्धी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित भत्ता की दरें	कुल वेतन
व. अग्रबद्धी रोलर्स (1000 अग्रबद्धी रोल करने पर) साधारण	रु. 2140	100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	लपय 32.65
व. सुगंधित (सेटेल)	रु. 22.00	100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	लपय 33.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रबंधन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की घारा 12(1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अग्रवली मिनी, बटर पेपर की डिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पैकेट के दोनों ओर घिट लगाकर पैकेट बद करना

विना रिलोफेन या जिलेटन के

			रु. पैसे
1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 20.48	(रु. 9.00) 100 पैसा प्रति 500 29.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 21.34	(रु. 9.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु) 30.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 21.34	(रु. 9.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु) 30.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 27.23	(रु. 11.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिंदु) 38.48
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 36.58	(रु. 14.85) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु) 51.43
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 41.54	(रु. 18.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिंदु) 59.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 43.12	(रु. 18.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिंदु) 61.12
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 52.76	(रु. 22.50) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिंदु) 75.26
रिलोफेन या जिलेटन के			
1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 21.34	(रु. 9.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु) 30.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 26.80	(रु. 11.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिंदु) 37.85
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 33.00	(रु. 14.85) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु) 47.85

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 34.48	(रु. 14.85) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु)	49.33
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 37.03	(रु. 14.85) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु)	51.88
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 43.12	(रु. 18.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिंदु)	61.12
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 51.00	(रु. 18.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिंदु)	69.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 54.47	(रु. 22.50) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिंदु)	76.97

(इ) निम्नानुसार पुगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अग्रवत्तीयों को गिनकर जिल्ली लपेटना,
पुगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का बाजान पेपर लगाकर बंदकर बीट लगाना।

बिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 अग्रवत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 16.98	(रु. 7.65) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिंदु)	रु. 9. 24.63
2. 12 अग्रवत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 17.80	(रु. 7.65) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिंदु)	25.45
3. 23 अग्रवत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 21.30	(रु. 9.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	30.30
4. 50 अग्रवत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 22.19	(रु. 9.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	31.19

5. 100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 26.60	(रु. 11.25)	100 पैसा प्रति 400	37.85
		(25 पैसा प्रति बिंदु)		
6. 200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु. 28.70	(रु. 11.25)	100 पैसा प्रति 400	39.96
		(25 पैसा प्रति बिंदु)		

(ii) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बनाए करना:

1. 5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	3.85	(रु. 1.80)	100 पैसा प्रति 2500	5.65
		(04 पैसा प्रति बिंदु)		
2. 10 अगरबत्ती के लिफाफे के लिये रोल बनाना	4.44	(रु. 2.25)	100 पैसा प्रति 2200	6.69
		(.05 पैसा प्रति बिंदु)		
3. पुगली बनाने के कामज (रोलिंग पेपर)	प्रति 1000 36.34	(रु. 3.15)	100 पैसा प्रति 1500	39.49
		(.7 पैसा प्रति बिंदु)		

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी

01.04.2018 से 30.09.2018 तक

क्रं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूलवेतन	परिवर्तनशील		कुल वेतन	रूपये में राक्षण्ड अप		
			महानाई भत्ता			दैनिक दरें		
			प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	एकाउंटेट, केशियर, गोडाउनकीपर	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9580.00	367.69	
2.	टाईपिस्ट, कलर्क	7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	
3.	मिस्ट्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाला	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9580.00	367.69	
4.	पेटी भरनेवाला, मसाला लोलने वाला	7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	
5.	पुढ़ा बनाने वाला मसाला भरने वाला, मृत्यु, चौकीदार	5939.00	228.42	1125.00	43.27	7084.00	271.27	
							271.00	

नोट:- अग्रबद्धी उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्ट्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला लोलनेवाला, अकाउंटेट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, कलर्क, मृत्यु आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राक्षण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित विमान के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7 /2006 /नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की घारा 12(1-ए)

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही. डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अभिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिविदु समुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति दिन प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ. माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन राष्ट्रम प्राधिकारी द्वारा भव्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं छालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरों न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की घारा 13 की उपक्षाशा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्वाम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की नई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की घारा 13 में बताये गये अनुसार विश्वाम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

(श्रीमत जैन)
क्रम आयुक्त, भव्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कागज: 5/11/अन्वे./पांच/2015/12242-441,

इंदौर, दिनांक २४-३-१८,

प्रतिलिपि—

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, व्यालियर, मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के माग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, वल्लभ भोपाल, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समर्त दैनिक सामाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अनुमति।
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रशारण हेतु अनुमति।
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ब्रह्म विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थायी, अधिकारी, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, गप्र, इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, व्यालियर की ओर सूचनार्थ।
23. समस्त संचार आयुक्त, मध्यप्रदेश।
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
25. समर्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
28. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
31. उप अमायुक्त, इन्डौर/भोपाल।
32. संचालक/समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर।
33. समस्त सहायक अमायुक्त, गप्र।
34. समस्त अम पदाधिकारी, गप्र।
35. प्रमारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर।

36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य समितियां कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
37. कल्याण आयुक्ता, म.प्र. अम कल्याण मंडल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र. रेले ऐनिस्ट वर्ककार कल्याण मंडल, भोपाल
39. सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई मत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



(श्री भूपेन्द्र जैन)
अधृत आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्तकार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/जन्मेषण/वाय/2015/ 11142-491, इन्दौर, दिनांक 28-3-18,

अधिकृतचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य सर्विकों की लिए दिनांक 01/04/2018 से न्यूनतम वेतन की दर परिवर्तनशील महगाई भत्ता सहित प्रबोधकील करने के संबंध में।

मध्य प्रदेश विनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित थम तिबागीय अधिरूपना, के एक 4/वी)। 2013/35-16 के अनुसार वेतन के अभिकों को लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित की गई थी जो अधिकृत भारतीय उपमाला मूल्य सुवधाका 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयान्वानी जनसूची की रूपी में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तात्प 57 से 66, 68, 70, 71, 74, 75, 76 तक कुल 67 विषयानी में न्यूनतम वेतन की दरे अपनी तक प्राप्ति परिवर्तनशील महगाई भत्ता को अधिनियमित करने पूरे दिनांक 01/04/2018 से 30/09/2018 तक प्रभावशील की गई है। यह छ. माही का औसत 276 रुपये वा जो इसकी पूर्व की 16 माही के औसत 278 से 2 शिंदू कम वा, किन्तु न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपरातम से न्यूनतम वेतन में कमी नहीं की गई थी। अतः यहाँ वेतन में छ. माही में मान्य किए गये अधिकृत भारतीय उपमाला मूल्य सुवधाका के औसत के उपर (286-278)=08 औसत विन्दुओं की घुटि हुई है। विसके कारण याची दरे के विमाननुसार रहेगी।

अनुसूची -ब

67 अनुसूचित विषयानी में भासिक एवं दैनिक वेतन की दरे विसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्बन्धित हैं (आकड़े रुपयों में) (26 दिन के मान से)

अभिकों का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		वार्षिक और देस वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकाशल	6500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00
मानकुल	7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.89	315.00
कृष्ण	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00
उमा कुल	9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00

अनुसूची -ब

विशेष स्टेट परिवर्तन निर्णय शाला में विषयानी

भासिक एवं दैनिक वेतन की दरे विसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता की सम्बन्धित हैं (आकड़े रुपयों में)

अभिकों का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		वार्षिक और देस वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
वर्तमा	30155.00	390.57	1125.00	43.27	11286.00	433.89	434.00
रमेश भट्टी पाठुल	9522.00	366.23	1125.00	43.27	10647.00	409.50	410.00
प.नर. पट्टीयाला, रोपर	6705.00	257.88	1125.00	43.27	7830.00	301.15	301.00
मुख्य लक्ष्मीकान्त उत्तम जाधि	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00
मनकुल	6500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00
उमा कुल	9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00

28/3/18

/ 2 /

अनुसूची - ३

विश्वी बुद्धगालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरों जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता भी सम्मिलित है।

(आकड़े क्रमयों में)

भौमिका का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		वार्षिक अपने देश वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
सिपीकीय वर्ग							
प्रणी एक.	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00
बैणी दो	7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	315.00
चल्च कुशल	9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00
कुशल अभिक							
प्रणी एक.	9685.00	372.50	1125.00	43.27	10860.00	415.77	416.00
बैणी दो	9378.00	361.69	1125.00	43.27	10503.00	403.96	404.00
कोणी लेन	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00
अधिकृष्णल अभिक							
प्रणी एक	8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00
बैणी दो	7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	315.00
अकृशल अभिक	8500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00

अनुसूची "क"

माध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनमात्राएँ भौमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिकवेतन की दरों जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित है। (आकड़े क्रमयों में)

(30 दिन के मान से)

भौमिका का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		वार्षिक अपने देश वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मालारत	8500.00	216.66	825.00	27.50	7325.00	244.20	244.00
अधिकृष्णल	7057.00	235.23	1125.00	37.50	8182.00	272.73	273.00
प्रांतील	8435.00	281.16	1125.00	37.50	9560.00	318.70	319.00
उच्च कृशल	9735.00	324.50	1125.00	37.50	10860.00	382.00	382.00

कृषि नियोजन

गठ इ. माली जल औसत 276 रुहा वा जो इसमें पूर्ण की छ गाही के औसत 871 से 5 विन्दु तक था, जिसनुसारतम वेतन अधिनियम 1949 की भाग 12(१-२) के अन्यायम से न्यूनतम वेतन में कोई नहीं की गई थी। इस इसके कारण गठ इ. माली में माध्य किसे गम्भीर अधिकृत भारतीय उपभोक्ता मूल्य सुधारकों के असरों के चपत (806-876)=20 असरात विन्दुओं की गुणि हुई है। जिसके कारण जारी दर के निम्नानुसार रहेगी।

कृषि नियोजन (आकड़े क्रमयों में)

भौमिका का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		वार्षिक अपने देश वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकृशल	5950.00	178.33	768.00	25.60	6118.00	203.93	204.00

/ ३ /

बीड़ी नियोजन

गत छ. माही का औसत २७६ रुपया जो इसके पूर्व की छ. माही के औसत ४७१ से २ बिन्दु कम था, किन्तु न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ की घासा १२(१-ए) के अनुपालन में न्यूनतम वेतन में कमी नहीं की गई थी। इसके कारण गत छ. माही में गन्य किये गये अधिक भारतीय उच्चाकाला मूल्य सूचकांक के औपर के उपर (२८५-२७६)-०८ औरात बिन्दुओं की तुलि हुई है। जिसके कारण जारी दरों के निम्नानुसार रहेगी।

अनुसूची (३)

बीड़ी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनर्रक्षित दरे	परिवर्तनशील महगाई भत्ता	कुल वेतन
बीड़ी शेलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	₹. ७४.००	₹. ११.१९	₹. ८५.१९

1000 बीड़ी बेलन पर न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महगाई भत्ता ₹. ८५.१९ के अंतरिका बीड़ी अग्रिका की बोनस परे ८.३३ प्रतिशत (७.४६) अंतिम अवकाश के एवज में नगद भुगतान ५ प्रतिशत (₹ ४.२६) एवं भविष्य नियि बाबद नियोजक का अशदान १० प्रतिशत (८.९९) इस प्रकार कुल ₹ 105.८९ देय होती। इस सहल देय राशि में से अग्रिक का एवं नियोजक का भविष्य नियि अशदान की कटोती ₹ १७.९६ की होती। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलन पर दि. ०१.०४.२०१८ से ३१.०३.२०१९ ती अवधि में अग्रिकों भविष्य नियि कटोती के उपर्युक्त शुद्ध राशि ₹. ८७.९१ देय होती।

अग्रवाली नियोजन

गत छ. माही का औसत २७६ रुपया जो इसके पूर्व की छ. माही के औसत ४७१ से २ बिन्दु कम था, किन्तु न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ की घासा १२(१-ए) के अनुपालन में न्यूनतम वेतन में कमी नहीं की गई थी। इसके कारण गत छ. माही में गन्य किये गये अधिक भारतीय उच्चाकाला मूल्य सूचकांक के औपर के उपर (२८५-२७६)-०८ औरात बिन्दुओं की तुलि हुई है। जिसके कारण जारी दरों के निम्नानुसार रहेगी।

अनुसूची (४)

अग्रवाली नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनर्रक्षित दरे	परिवर्तनशील महगाई भत्ता	कुल वेतन
अग्रवाली शेलर (1000 अग्रवाली शेल करने पर) साझारण अग्रवाली	₹. २१.४०	११.२५	३२.६५
सुगमित अग्रवाली	₹. २२.००	११.२५	३३.२५

रप्टीकरण

१. न्यूनतम वेतन सलाहकार पारिषद की बैठक दिनांक २०.६.०८ ने दुई बद्दों में सर्वसम्मति से परिवर्तन अग्रावाल गजदारी निधारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राहगण-अप करने ही दैनिक एवं भासिक मजदूरी निधारित की जाय। तदनुरूप प्रतिदिन लप्ते में राहगण-अप कर दैनिक दर निधारित की गई है।
२. वित्त विभाग के परिपत्र अग्रावाल एक ९-७ / १००८ / नियम / धारा दिनांक २० सितम्बर २००८ में ५० पैसे तथा उपरी अग्रिक पैसे हो ले, उन्हें अग्रावाल उच्चातर रूपयों में पूर्णांकित किया जायेगा और ५० पैसे से कम राशि छोड़ दिया जायेगा।

/37

बीड़ी नियोजन

गत महीने का औसत 276 रुपया वाले इसके पूर्व की तो गाही के औसत 871 से 2 बिन्दु कम था, किन्तु न्यूनतम धैर्य अधिनियम 1948 की तात्परा 12(1-ए) के अनुपालन में न्यूनतम देतान में कमी नहीं की गई थी। अतः इसके कारण गत महीने में भाव्य विषय वाले अधिक आवासक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के तात्पर (206-276)=0.8 और इस विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दर के निम्नानुसार रहेगी।

अनुसूची (६)

बीड़ी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मत्तगाई भला	कुल वेतन
बीड़ी संस्करण (1000 बीड़ी बाजार के लिए)	₹. 74.30	₹. 11.19	₹. 85.49

1000 बीड़ी बाजार पर न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मत्तगाई भला का 85.19 के अधिकांश बीड़ी अधिकारी का बाजार पटे 8.33 प्रतिशत (7.45) अधिक आवासक के एवज में नगद प्रमाणन 5 प्रतिशत (₹ 4.26) एवं अधिक विषय वाले नियोजक का असाधारण 10 प्रतिशत (8.99) इस प्रकार कुल ₹ 105.69 देव रहेगी। इस सफल देव राहीं में तो अधिक का एवं नियोजक का अधिक विषय विषय असाधारण वी कटोरी ₹ 17.95 की रहेगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बाजार पर दि. 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में अधिक विषय विषय कटोरी के उपरान्त सुदूर राशि ₹ 67.91 देव रहेगी।

आगरखत्ती नियोजन

गत महीने का औसत 276 रुपया वाले इसके पूर्व की तो गाही के औसत 871 से 2 बिन्दु कम था, किन्तु न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की तात्परा 12(1-ए) के अनुपालन में न्यूनतम वेतन में कमी नहीं की गई थी। अतः इसके कारण गत महीने में भाव्य विषय वाले अधिक आवासक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के तात्पर (206-276)=0.8 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दर के निम्नानुसार रहेगी।


अनुसूची (एफ)

आगरखत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मत्तगाई भला	कुल वेतन
आगरखत्ती रालर (1000 आगरखत्ती राल वारन पर) तापावण आगरखत्ती	₹. 21.40	11.25	32.65
सुनापीत आगरखत्ती	₹. 22.00	11.25	33.25

संपर्कीकरण

- प्रभावानुसार वेतन वाले वर्गों में सर्वेतामस्ति से पाइल व्यवस्था अनुसार नज़दीकी नियोजन में ऐसे तात्पर रूपरूप के गुणांकों की रुचान-अप करके एवं वैनिक एवं नियोजित की जाए। तदनुसार प्रतिविवेतन रूपरूप में राहण-अप कर वैनिक एवं नियोजित की जाए।
- विवर विभाग के परिपक्व क्रमांक एफ 9-7/1008/नियम/चार दिनांक 20 लिखान, 2008 में 50 परों वाला दसवीं अधिक वैसे ही तो उन्हें अगले उच्चतर रूपरूप में पूर्णकृत किया जावेगा और 50 ठंसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।
- संपर्कीकरण— तात्पर आवास द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 की जारी एवं राज्यपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में व्यवस्थित अकृष्ट अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम दर, 1 जून, 2015 से प्रभावशील हो जाएगी।


 (श्री अशोक जैन)
 अधिकारी प्रबन्धक,
 मायाप्रदेश, इन्दौर